भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *109

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निधियां

***109. प्रो. अच्युतानंद सामंत:**

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या सरकार ने देशभर में समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के कर्मियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या वित्त वर्ष 2017-23 हेतु आईसीडीएस कर्मियों के प्रशिक्षण संबंधी खर्चों के केन्द्रीय हिस्से के रूप में ओडिशा राज्य के लिए कोई धनराशि लंबित है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त वर्षों के लिए उपर्युक्त प्रशिक्षण संबंधी खर्चों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त प्रशिक्षण संबंधी खर्चों के लिए केन्द्रीय हिस्से को अविलम्ब जारी करने में शीघ्रता लाने का विचार है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

"आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निधियां" के संबंध में दिनांक 09.02.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 109 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): आंगनवाड़ी सेवाओं, किशोरी स्कीम (एसएजी) और पोषण अभियान के तहत पूरक पोषण के घटकों को वित्त वर्ष 2021-22 से एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत समरूप बनाया गया है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 दिशानिर्देशों के अनुसार, आंगनवाड़ी सेवाओं को सशक्त बनाने और उनके इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए अग्रणी कार्यकर्ताओं की क्षमता और विश्वास का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। मिशन पोषण 2.0 में अग्रणी कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण प्रभावी प्रदायगी और परिणाम हासिल करने के प्रमुख स्तंभों में से एक है।

आंगनवाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र में अग्रणी कार्यकर्ताओं के 3 स्तर हैं अर्थात महिला पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और आंगनवाड़ी सहायिकाएं। इन अग्रणी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए क्षमता निर्माण के क्षेत्र इस प्रकार दिए गए हैं:-

i. तकनीकी ज्ञान पर प्रशिक्षण में प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात देखभाल प्रथाएं, शिशु और छोटे बच्चे की देखभाल और भोजन पद्धतियां, विकास निगरानी, पूरक पोषण, क्षेत्रीय भोजन योजना, पोषण वाटिका, पोषण ट्रैकर, प्री-स्कूल शिक्षा और अभिसरण इत्यादि जैसे विषय शामिल हैं।
ii. सॉफ्ट स्किल आधारित ज्ञान पर प्रशिक्षण में प्रभावी घरेलू दौरे, समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित करना और जन आंदोलन, प्रभावी व्यवहार परिवर्तन संचार की तकनीक, आयोजना और समय प्रबंधन इत्यादि जैसे विषय शामिल हैं।

इस तरह के प्रशिक्षण देने के लिए, राज्य क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए राज्य और जिला स्तर के संस्थानों की पहचान करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षण सरकार द्वारा संचालित आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों (एडब्ल्यूटीसी)/मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्रों (एमएलटीसी) या राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) में दिया जाता है।

इसके अलावा, प्रशिक्षण के लिए मंत्रालय द्वारा तैयार एक व्यापक मॉडल में मास्टर प्रशिक्षकों (अर्थात्, जिला अधिकारी, ब्लॉक समन्वयक और पर्यवेक्षक) को निपसिड के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है, और मास्टर प्रशिक्षक क्षेत्र में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को सीधे प्रशिक्षण देते हैं।

इसके अलावा, एनईजीडी पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के उपयोग के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए नियमित रूप से सीधे ही क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है। देश भर के विभिन्न जिलों में वर्चुअल और भौतिक दोनों रूप में कई दौर के प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

(ख) से (घ): केवल सरकार द्वारा संचालित एडब्ल्यूटीसी/एमएलटीसी के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए ओडिशा राज्य को वित्त वर्ष 2019-20 में एपीआईपी अनुमोदित केंद्रीय हिस्सेदारी की पहली किस्त के रूप में 44.56 लाख की राशि जारी की गई थी। चूंकि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कोई उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए वित्त वर्ष 2019-20 में ओडिशा राज्य को आगे निधियां जारी नहीं की गईं।

******